

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची-834004

पत्रांक-सू0प्रौ0/ई-ऑफिस-88/2011-35

रांची, दिनांक - 06.01.2022

प्रेषक,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रांची।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड राज्य में ई-ऑफिस परियोजना के क्रियान्वयन के निमित्त चतुर्थ किस्त की राशि 2,64,03,000/- उपलब्ध कराने के उपरांत पुनः पंचम एवं षष्ठ किस्त की कुल अवशेष राशि 4,36,46,000/- (चार करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-2697 दिनांक-24.09.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य के विभागों को कागज रहित और पारदर्शी बनाने हेतु राशि रु0 22,34,01,206/- (बाईस करोड़ चौतीस लाख एक हजार दो सौ छः) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें जैप-आईटी द्वारा आकलित AME 12.5% के स्थान पर वर्ष 2017-18 में 7% की दर से संशोधन किया गया, जिस पर माननीय विभागीय मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमोदन प्राप्त है तथा परियोजना की कुल संशोधित राशि मात्र 21,46,51,812/- हो गयी। पुनः विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्श के आलोक में योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3201/वि0 दि0 04.11.2016 के अनुरूप जैप-आईटी को देय AME राशि का पुनर्निर्धारण करते हुए ई-ऑफिस परियोजना की कुल संशोधित लागत रु0 21,26,70,000/- हो गयी। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं इसके पूर्व के वित्तीय वर्षों में आवंटित राशियों की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	किस्त की स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	आवंटनादेश सं0/ दिनांक
1	4,44,36,324	2016-17	2,00,00,000	2698 / 24.09.16
			2,44,36,000	780 / 02.03.17
2	5,10,20,617	2017-18	5,10,20,617	2946 / 12.10.17
3	4,71,64,370	2018-19	4,45,41,200	613 / 15.03.19
		2019-20	26,23,170	1720 / 24.05.19
4	2,64,03,000	2021-22	2,64,03,000	1283 / 29.09.21
कुल			16,90,23,987	

2. इस प्रकार ई-ऑफिस परियोजना के क्रियान्वयन के निमित्त 04(चार) किस्तों के माध्यम से कुल रु0 16,90,23,987/- का आवंटन जैप-आईटी को उपलब्ध कराया जा चुका है एवं रुपये 4,36,46,013/- का आवंटन शेष है। अतः उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड राज्य में ई-ऑफिस परियोजना के क्रियान्वयन के निमित्त चतुर्थ किस्त की राशि 2,64,03,000/- उपलब्ध कराने के उपरांत पुनः पंचम एवं षष्ठ किस्त की कुल अवशेष राशि 4,36,46,000/- (चार करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि का विकलन राज्य योजनान्तर्गत मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा के निम्नलिखित लघुशीर्षों के अंतर्गत किया जायेगा :-

(क) लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-89, ई-ऑफिस, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवायें, विपत्र कोड-45S22030000189000781 के अंतर्गत रु0 2,00,00,000/- (दो करोड़) मात्र।

(ख) लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-89, ई-ऑफिस, विस्तृत शीर्ष-07 अन्य व्यय, 81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवायें, विपत्र कोड-45S22030079689000781 के अंतर्गत रु0 2,36,46,000/- (दो करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार) मात्र।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, झारखंड मंत्रालय, धुर्वा, राँची से कर जैप आई0टी0 के PL A/C में जमा कर दी जायेगी।

5. व्यय की गई राशि का व्यय विवरणी टी.भी नं0 सहित (सामंजन विपत्र साहित) ससमय विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 में दिए गए दिशा-निर्देश के तथा अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

7. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार राज्य सरकार एवं महालेखाकार झारखण्ड का होगा।

8. राशि का अपवर्तन एक मद से दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- 35

राँची, दिनांक :- 06.01.2022

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- 35

राँची, दिनांक : 06.01.2022

प्रतिलिपि-आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/जैप-आई0टी0/बजट शाखा/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/श्री देशबंधु मिश्रा, परामर्शी, SeMT को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
6.1.22



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1673

पत्रांक संख्या :- 35

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
स्वीकृत्यादेश

पत्रांक दिनांक :- 06/01/2022

प्रेषक,

KRIPA NAND JHA
SECRETARY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY & EGOVERNANCEPR

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : E-OFFICE

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के, राज्य स्कीम के
मुख्यशीर्ष - 2203-तकनीकी शिक्षा
उपमुख्य शीर्ष - 00-तकनीकी शिक्षा
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	₹ 2,36,46,000.00
001-निदेशन और प्रशासन	₹ 2,00,00,000.00
कुलराशि :-	₹ 4,36,46,000.00

10.93.97.183

Run Date: 06/01/2022

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
45S220300001890781	89 - ई-ऑफिस	81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	
45S220300796890781		81 - सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से